



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹26,000/- अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-441/23 धारा 376 AB/506 भा०द०सं० व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर मुंतजिर आलम पुत्र रजाबुल हक उर्फ जैदुर रहमान नि० कोचगढ़ थाना रौटा जनपद पूर्णिया, बिहार को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास एवं ₹26,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-  
निरीक्षक  
योगेश तिवारी



पैरोकार-  
थाना- कुरारा  
कां०- संजीत कुमार